

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

(X)
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा :- (X) वित्त विभाग।

पटना-15, दिनांक-...../03/2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, माँग संख्या-19 के विपत्र कोड-N3451000900006 के विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय से ₹60000/- एवं 20 03-प्रशिक्षण व्यय से ₹110000/- कुल ₹170000/- प्रत्यर्पित कर, विपत्र कोड- N3451000900006 के विषय शीर्ष 13 01-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में ₹60000/- एवं विषय शीर्ष 11 01 यात्रा व्यय में ₹110000/- कुल ₹170000/- (एक लाख सत्तर हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न अनुसूची-53 के अनुरूप मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, माँग संख्या-19 के विपत्र कोड-N3451000900006 के विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय से ₹60000/- एवं 20 03-प्रशिक्षण व्यय से ₹110000/- कुल ₹170000/- प्रत्यर्पित कर विपत्र कोड- N3451000900006 के विषय शीर्ष 13 01-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में ₹60000/- एवं विषय शीर्ष 11 01 यात्रा व्यय में ₹110000/- कुल ₹170000/- (एक लाख सत्तर हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पुनर्विनियोग के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-48/2015 976/प०व० पटना-15, दिनांक-..16../03/2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक के साथ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना/बजट शाखा (दो प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

अनुदान
अनुदान / विनियोग


पृष्ठ सं. 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाये

(राशि लाख में)

उपशीर्षक जिसमें विनियोग प्रस्तावित है।						उपशीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्रावर्तन)।	वर्तमान अनुदान	सांख्यिक प्रवर्तन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित स्वयं	अर्पित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्रावर्तन)।	वर्तमान अनुदान	सांख्यिक प्रवर्तन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित स्वयं	अर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाये उप-मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090-सचिवालय मौग संख्या-19 उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग विपत्र कोड-N3451000900006						मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाये उप-मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090-सचिवालय मौग संख्या-19 उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग विपत्र कोड-N3451000900006					
	17,00,000	22,00,000	23,70,000	1,70,000	23,70,000		19,50,000	19,50,000	17,80,000	1,70,000	17,80,000
विषय शीर्ष						विषय शीर्ष					
11 01 यात्रा व्यय	6,00,000	11,00,000	12,10,000	1,10,000	12,10,000	13 01 कार्यालय व्यय	15,00,000	15,00,000	14,40,000	60,000	14,40,000
13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	11,00,000	11,00,000	11,60,000	60,000	11,60,000	20 03 प्रशिक्षण व्यय	4,50,000	4,50,000	3,40,000	1,10,000	3,40,000
	17,00,000	22,00,000	23,70,000	1,70,000	23,70,000		19,50,000	19,50,000	17,80,000	1,70,000	17,80,000

टिप्पणी

1. अनुदान-1 और 2 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो।
2. अनुदान-3 या 9 में संक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त की राशि संक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाइयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तंभ-3 और 9 से आंकड़े पीठ पर स्पष्ट किए जाय।
3. अनुदान-4 से और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
4. अनुदान-7 में संक्षम-9 और 11 के आंकड़ों का अंतर दिखाया जाय।
5. अनुदान-8 अनुदान (स्तंभ-5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तंभ-11) संबंधी प्रस्ताव पूरा-पूरा पीठ पर दिया जाय।


प्रधान सचिव

पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना